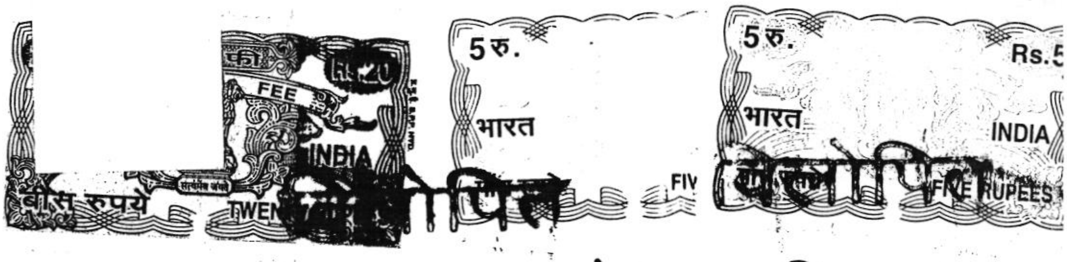

189

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

R 4239 – PB 2016

प्रकरण कमांक आर................/2016/ शाजापुर

16.12.16 को

16.12.16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

16-12-2016

(1) लक्ष्मीनारायण पिता रामप्रसाद, जाति–धाकड़, निवासी–ग्राम जामनेर, तहसील–शुजालपुर, जिला–शाजापुर (म0प्र0)।

(3) मुकेश पिता लक्ष्मीनारायण जाति धाकड़ ग्राम जामनेर त० शुजालपुर जिला शाजापुर म०प्र०

— प्रार्थी

विरूद्ध

विष्णुप्रसाद पिता रामचरण, उम्र 47 साल जाति–धाकड़, धंधा–कृषि, निवासी–कालापीपल भोपाल रोड ग्राम जामनेर, तहसील व थाना– शुजालपुर जिला–शाजापुर (म0प्र0।

प्रतिप्रार्थी

787
16.12.16

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार, तहसील शुजालपुर प्रकरण कमांक 4/ए–13/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 03.12.2016।

श्रीमान् जी

प्रार्थी की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

(1) यहकि, विचारण न्यायालय का आदेश प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर बिना साक्ष्य एवं स्थल निरीक्षण के विपरीत अन्तरिम आदेश पारित करने में गम्भीर भूल की जाने के कारण आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) यहकि, प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी के पूर्वज की संयुक्त परिवार के खाते की भूमि थी, उनके और उनके पश्चात् बटवारे के अनुसार काफी लम्बे अर्से से अपने आने–जाने का रास्ता उपयोग करते आ रहे हैं। तब से आज तक एक–दूसरे ने रास्ते के संबंध में कोई विवाद नहीं किया। वर्तमान में प्रतिप्रार्थी एक नवीन रास्ता अपने उपयोग हेतु लेने के प्रयास में विचारण

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4239-पीबीआर/16 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	